P-1	R.M.M. Law College, Saharsa Manvendra Mandal Part time Lecturer	Hindu Marriage Act Part - 1

जिला न्यायालय से अभिप्राय (धारा 3)

जिला न्यायालय से क्या अभिप्राय है इसका उल्लेख इस धारा में किया गया है। जिला न्यायालय का तात्पर्य, ऐसे न्यायालय से है जो उस क्षेत्र का सिटी सिविल कोर्ट है और जिन स्थानों पर सिटी सिविल कोर्ट नहीं है वहाँ उस क्षेत्र के प्रधान दिवानी न्यायालय, जिसको कि वाद सुनने की मूल अधिकारिता प्राप्त है, से है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अर्न्तगत मामलों की सुनवाई के लिए किसी न्यायालय को अधिकृत कर सकती है और ऐसे अधिकृत किया गया न्यायालय भी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'जिला न्यायालय' माना जायगा।

उत्तर प्रदेश में सिविल जज के स्थायी न्यायालय जिन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत मूल्यांकन सम्बंधी असीमित राशि के मामलों की सुनवाई का अधिकार है परन्तु इस उपधारा के अर्न्तगत वे प्रधान दिवानी अदालत की परिभाषा में नहीं आते। अतः उत्तर प्रदेश राज्य के गजट के भाग 1 दिनांक 20 अक्टूबर 1956 की अधिसूचना द्वारा स्थायी सिविल जज के न्यायालय को धारा 3ब के अर्न्तगत जिला न्यायालय के रूप में अधिकृत किया गया था। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 1978 जो कि दिनांक 22 सितम्बर, 1979 के प्रथम भाग, पृष्ठ 2410 द्वारा इस अधिनियम की धारा 3(ब) के अर्न्तगत जिला न्यायालय के अधिकार निम्नलिखित न्यायालयों को प्रदान किये गये हैं- ① अपने क्षेत्राधिकार के सिविल जजों के न्यायालय ② सभी अतिरिक्त जिला जज एवं अतिरिक्त सिविल जज के न्यायालय जिन्हें जिला जज द्वारा इस अधिनियम के अर्न्तगत योजित वाद अन्तरित किये जाते हैं। इस प्रकार जिला जज को वैवाहिक मामलों को स्वयं सुनवाई का अधिकार होने के साथ इन मामलों को अतिरिक्त जिला जज एवं अतिरिक्त सिविल जज को सुनवाई हेतु अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त है। जहाँ तक सिविल जज अर्थात सिविल न्यायालय का प्रश्न है उसे वैवाहिक मामलों को स्वतः ग्रहण करने का अधिकार है किन्तु ऐसे मामलों को जिला जज, अतिरिक्त जिला जज एवं अतिरिक्त सिविल जज के न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।

Scanned with CamScanner

22 जिला न्यायालय से अभिप्राय

क्योंकि अतिरिक्त जिला जज एवं अतिरिक्त सिविल जज के न्यायालय को स्वतः ग्रहण करने का अधिकार नहीं है।

वैवाहिक मामलों के सम्बन्ध में जबकोई सक्षम न्यायालय धारा 30 के अन्तर्गत जिला न्यायालय के रूप में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है तो मूल अधिकारिता यदि सिविल जज की है तो ऐसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण जिला जज के न्यायालय में ही की जायगी और यह नहीं समझा जायगा कि विचाराधीन आदेश करने वाला न्यायालय धारा 20 के अन्तर्गत जिला न्यायालय है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक मामलों को सुनने का अधिकार चूँकि जिला न्यायालय को दिया गया है और उस अधिनियम में "जिला न्यायालय" को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है अतः अधिकारिता सम्बन्धी विवाद का समाधान इस परिभाषा के अन्तर्गत किया जायगा। अधिनियम में "जिला न्यायालय" का उल्लेख धारा 9, 13(ब), 19 एवं 21(अ) में किया गया है किन्तु अधिनियम के अन्य प्रावधानों में "जिला न्यायालय" के बजाय केवल न्यायालय शब्द का प्रयोग किया गया है अतः ऐसे न्यायालय का अभिप्राय भी जिला न्यायालय से ही लिया जायगा।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के पारित होने के पश्चात् अब इस अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक मामलों की सुनवाई का अधिकार भी पारिवारिक न्यायालय को दिया गया है, अतः जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय गठित हो चुके हैं वहाँ जिला न्यायालय ~~न्यायालय~~ के स्थान पर इस अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई पारिवारिक न्यायालयों द्वारा की जायगी। प्रारम्भ में पारिवारिक न्यायालयों को ऐसे सभी शहरों में गठित किया गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, परन्तु अब प्रायः हर जिले में पारिवारिक न्यायालय का गठन कर दिये गये हैं। यही स्थिति उ.प्र. प्रदेशों का भी है

Scanned with CamScanner

P_3 जिला न्यायालय से अभिप्राय

करसुखेत भीमाबाई बनाम लक्खाभाई विट्ठलभाई के वाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 20(ख) के आधार पर अपील का न्यायालय तय नहीं किया जायेगा बल्कि आदेश पारित करने वाला न्यायालय वास्तव में कौन सा न्यायालय है? तथा उसके आदेश के विरुद्ध साधारणतः किस न्यायालय में अपील की जाती है यह तथ्य ध्यान में रखा जायेगा। अर्थात यदि आदेश पारित करने वाला न्यायालय मूलतः सिविल जज का न्यायालय है किन्तु वह धारा 20 के अंतर्गत आदेश पारित करता है तो उसकी अपील जिला जज के न्यायालय में की जायेगी उच्च न्यायालय में नहीं। परन्तु जहाँ तक पारिवारिक न्यायालय का प्रश्न है उनके आदेश के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है।